उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

विविध (प्रतिबंधित सूची से मुक्त संबंधी) वाद संख्या संख्या–119/2022

शुभ्रा ठाकुर

–बनाम–

राज्य, (अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
05/07/24	प्रस्तुत मामला शुभ्रा ठाकुर, पति–रतीश सिंह ठाकुर, वेस्ट बोकारो, पो0+थाना–घाटोटांड, जिला–हजारीबाग द्वारा अंचल सदर, हजारीबाग अन्तर्गत थाना नं0–154, मौजा–जबरा, अन्तर्गत खाता संख्या–82, प्लॉट संख्या–11/1687, रकबा–7.25 डिसमिल भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने से संबंधित है। अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदिका द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अपनी भूमि को प्रतिबंधित सूची मुक्त करने के निमित्त वाद दायर किया गया था। आवेदन पर पूर्ण सुनवाई हेतु वाद को अंगीकृत करते हुए अंतिम सुनवाई हेतु मामला चल रहा था, परन्तु आवेदिका के द्वारा सुनवाई के क्रम में निरंतर अनुपस्थित रहने एवं वाद में पहल नहीं करने के कारण वाद खारिज कर दी गयी थी। जिसके क्रम में अपीलार्थी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची में W.P.(C) No.-3192/2023 दाखिल कर प्रश्नगत भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने हेतु प्रार्थना किया गया। अपीलार्थी के याचिका आवेदन पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–04.12.2023 को आदेश पारित किया गया, जिसका Operative Part निम्नवत है:– "Since the matter regarding the prayer of the petitioner is pending before the respondent no.4 who seems not to have taken any action on the representation of the petitioner, as noted in the writ application itself, this writ application accordingly stands disposed of with a liberty to the petitioner to submit a fresh representation before the respondent no.3 with respect to her grievance regarding release of her land from the list of restricted land prepared in	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

the district of Hazaribagh and if such representation is preferred, the respondent no.3 shall consider and dispose it by a speaking order and after giving an opportunity of hearing to the petitioner within a period of six weeks from the date of submission of the representation."

माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची के द्वारा दिनांक 04.12.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में मामले को सुना।

आवेदिका द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखा गया जो निम्नवत है:–

(1) यह कि मौजा–जबरा, अंचल–सदर, थाना नं0–154 के खाता संख्या–93 नया खाता, प्लॉट संख्या–11/1687, रकबा–7.25 डिसमिल भूखण्ड उनकी है।

(2) इस भूखण्ड को मैंने 1994 में निबंधित केवाला संख्या–11475 दिनांक 02.12.1994 द्वारा क्रय की थी। इस भूखण्ड का दाखिल खारिज वाद संख्या–122/95–96 में खास महाल पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा मेरे नाम से किया गया है, जो पंजी–II के पृष्ठ संख्या–03/III पर दर्ज है। इसका लगान वर्ष 2016–17 तक निर्गत है।

(3) जबरा मौजा के खाता संख्या–82, प्लॉट संख्या–11 में कुल रकबा–9.98 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में गैर मजरूआ खास किस्म परती गड़हा दर्ज है।

(4) इसी प्लॉट के 4.47 एकड़ भूमि खास महाल केस न0 271 1930–31 से नया खाता संख्या–93 के तहत दिनांक 01.04.1930 से रैयती बन्दोबस्ती दी गई है, जिसकी जमाबन्दी पंजी–II के पृष्ट संख्या–91 में दिनांक 03.03.1956 से जमाबन्दी कायम है।

(5) अंचलाधिकारी सदर, हजारीबाग द्वारा दिनांक 08.04.2017 को मेरे नाम से उक्त भूखण्ड का भूमि संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

आवेदिका के द्वारा उक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

आवेदिका के आवेदन पर मामले की सुनवाई की गई। अंचल अधिकारी, हजारीबाग के कार्यालय पत्रांक 333 दिनांक 06.03.2024 के द्वारा प्रश्नगत मामले से संबंधित भूमि का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत हैः–

"उपायुक्त हजारीबाग के न्यायालय, में दाखिल विविध (प्रतिबंधित सूची से मुक्त संबंधी) याद संख्या 119/2022 शुभ्रा ठाकुर बजाम राज्य से संबंधित भूमि का राजस्व उप–निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि मौजा जबरा, थाना नं0–154 खाता नं0–82 प्लॉट नं0–11 गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। शुभ्रा ठाकुर पति–रतिश सिंह ठाकुर के निबंधित केवाला सं0–11475 वर्ष 1994 द्वारा मौजा जबरा थाना नं0–154 अन्तर्गत खाता नं0–82/33 प्लॉट नं0–11/1687 रकया–7.25 डी० भूमि खरीदगी से हासिल है। शुभ्रा ठाकुर के नाम से जमाबन्दी पंजी–II के पृष्ट सं०–3/ III पर दर्ज है। लगान रसीद 2016–17 तक निर्गत है। खाता नं0–82 का खतियान हल्का मुख्यालय में उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण खाता नं0–82 प्लॉट नं0–11 के भूमि का किस्म का पता नहीं चल रहा है, भूमि का किस्म अस्पष्ट है।"

इस प्रकार उभय पक्षों को सुनने एवं अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग से प्राप्त भूमि संबंधित प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता ळेः–

1) आवेदिका का कहना है कि मौजा–जबरा के खाता संख्या 82 प्लॉट संख्या–11 में कुल रकबा–9.98 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में गैर मजरूआ खास खाते की है। इसी प्लॉट के 4.47 एकड़ भूमि खास महाल केस नं0–271(a) 1930–31 से J.S.C Mallik के नाम से एक नया खाता संख्या–93 के तहत 01.04.1930 से रैयती बन्दोबस्ती दी गई है, जिसकी जमाबंदी पंजी–II के पृष्ठ संख्या–91 में दिनांक 08.03.1956 से कायम है परन्तु इससे संबंधित कोई भी साक्ष्य/दस्तावेज आवेदिका द्वारा अपने पक्ष में समर्पित नहीं किया गया। फलतः आवेदिका के दावे को मान्य नहीं पाया गया।

2) अंचल अधिकारी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदनानुसार प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ खास प्रतिवेदित है एवं भूमि का किस्म अस्पष्ट है।

उपरोक्त बिन्दुओं पर समीक्षा एवं विवेचनोपरान्त प्रश्नगत भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करना समुचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः आवेदिका के आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है। विधि व्यवस्था एवं लोक सभा निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यो में व्यस्तता के कारण इस मामले में पूर्व में आदेश पारित नहीं किया जा सका।

आदेश की प्रति आवेदिका, जिला अवर निबंधक एवं अंचल अधिकारी, सदर को भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, हजारीबाग।

उपायुक्त, हजारीबाग।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

Digitally signed by NANCY SAHAY
Date: 2024.07.13 17:37:59 +05:30
Location: 192.168.100.50